

2025/481

फूलगर्ज
18-7-2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
धनगर बनाम फूलगर आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 339 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०११</p>	
18.7.2025	<p>वकील वकील ने प्रार्थना- पत्र सिमल पेवरी पेवा करने पर प्रजावली को पेवरी में लिखा गया। वकील वकील ने निवेदन किया कि वह वाद पत्र में शर्जीनामा होने से कारण वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा रिचार्ज में जारी करवाना चाहते हैं। कारण वाद पत्र मौजूदा रिचार्ज में जारी किया जाता है। प्रजावली नम्बर से काम की जाकर वाद वकील वकील जाका दाखिल करवाते हैं।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

